राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

रा० ले० सं० 27
अनु० सं० 123 (6)

भूमि विक्रय मूल्य की मांग, वसूली अवशेष का मासिक मानचित्र

नाम नहरी परियोजना——————मास/वर्ष——————तहसील——————जिला——————

वर्गीकरण बिक्री/स्थायी आवंटन	वर्ष के आरम्भ में खातों की संख्या	कुल बकाया भूमि मूल्य 1 अप्रेल को	कुल देय बकाया मांग 1 अप्रेल को	वसूली योग्य मांग		गत मास तक की वसूली		अग्रिम किश्तों की वसूली	खाना नं० 10 व 11 के अलावा वसूली	कुल वसूली खाना 10 + 11 + 12	रिबेट जो दिया गया
				बकाया	चालू योग	बकाया खाना 5 के पेटे	चालू योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

हस्ताक्षर राजस्व लेखाकार

हस्ताक्षर तहसीलदार/जिलाधीश

नोट:—जिस मास में नया आवंटन होने के कारण मांग बढ़े तो उसके आंकड़ों खाना नं० 2 ता 7 में गत मास के आंकड़ों के नीचे लाल स्याही से दर्ज कर योग दिया जावे। इसी प्रकार किसी आवंटन के निरस्त करने पर मास में कम की जाने वाली मांग भी लाल स्याही से कम की जावेगी।

चालू मास में वसूली							कुल वसूली							शेष						प्रतिशत वसूली		
																वसूली योग्य मांग						
बकाया खाना 5 के पेटे	चालू वर्ष खाना 6 के पेटे	योग 15+16	अग्रिम किश्तों की वसूली	खाना नं० 17 व 18 के अतिरिक्त वसूली	कुल वसूली चालू मास	चालू मास में जो रिबेट दिया गया	कुल खाना 5 के पेटे 8 15)	कुल खाना 5 के पेटे 9 16)	कुल खाना 7 के पेटे 10 17)	कुल अग्रिम किश्तों की वसूली 11+18	योग खाता 12+19	कुल योग 13+20	कुल रिबेट 14+21	कुल खाते जो शेष रहे	कुल मूल्य (27+28)	बकाया मांग (22+26)	5—22	6—23	7—24	खाना नं० 5 व 22	खाना नं० 6 व 23	खाना नं० 7 व 24
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

रा० ले० सं० 28
अनु० सं० 128 (1)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

गंगनहर क्षेत्र, जिला गंगानगर में राजकीय भूमि के स्थायी आवंटन के मामलों में खरीददारी मालकाना की वार्षिक मांग का प्रपत्र

वर्ष———— नाम तहसील————

क्रमांक	नाम चक/ ग्राम	नाम आवंटी	सेल लैजर में खाता सं० जिल्द सं० व पृष्ठ सं०	खाता सं०	आवंटित भूमि बीघों में	संख्या बकाया किश्तें	खरीददारी मालकाना की मांग			वसूली का विवरण			वर्ष के अन्त पर विशेष विवरण अवशेष
							बकाया	चालू	योग	चालान नं० व तारीख	राशि	दैनिक रोकड़ की पृष्ठ सं०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

153

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

जिला गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि के स्थायी आवंटन से खरीददारी मालकाना की आय की दैनिक पंजिका

नाम तहसील———————— वर्ष ————————

तारीख	चालान नं०	नाम चक/ ग्राम	नाम आसामी (अलॉटी)	खाता सं०	राशि खरीददारी मालकाना			क्रमांक मांग प्रपत्र	हस्ताक्षर तहसीलदार
					बकाया	चालू	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 30
अनु० सं० 130

राजस्व विभाग

परियोजना क्षेत्र में लघु भूमि खंडों के आवंटन/विक्रय पंजिका

नाम जिला———————— नाम तहसील————————

क्रमांक	आवंटन आदेश		खरीददार का नाम व निवास-थान	चक/ग्राम	विवरण भूमि आवंटन/विक्रय की गई						भूमि कीमत से दाय की अन्तिम तिथि	लघु हस्ताक्षर आवंटन अधिकारी/तहसीलदार	चालान नं० व ता०	लघु हस्ताक्षर तहसीलदार
	संख्या	दिनांक			मु० नं०/ खसरा नम्बर	किला नं०	क्षेत्र-फल	वर्ग	कीमत प्रति बीघा	कुल मूल्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15

रा० लें० सं० 31
अनु० सं० 131

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

लघु भूमि खंडो के आवंटन/विक्रय का त्रैमासिक मानचित्र

नाम तहसील————नाम परियोजना————मास/वर्ष————

पिछले त्रैमास आवंटन/विक्रय			चालू त्रैमास में आवंटन/विक्रय			चालू त्रैमास के अन्त तक आवंटन/विक्रय			पिछले त्रैमास तक वसूली	चालू मास में वसूली	कुल वसूली	शेष राशि	भूमि उपलब्ध जो शेष रही वर्गवार
संख्या	कुल भूमि वर्गवार	कुल मूल्य	संख्या	कुल भूमि वर्गवार	कुल मूल्य	संख्या (1+4)	कुल भूमि वर्गवार (2+5)	कुल मूल्य (3+6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

———

रा० ले० सं० 32
अनु० सं० 135 (1)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम के अन्तर्गत वसूली मामलों की पंजिका

जिलाधीश कार्यालय————————————————————वर्ष—————

क्रमांक	पंजीबद्ध करने की तिथि	सम्बन्धित विभाग अधिकारी का नाम	दोषी बाकीदार का नाम व पूरा पता	लोक अभियाचन बकाया की कुल राशि	कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	तहसीलदार/ सहायक जिलाधीश जिसे प्रमाण-पत्र निष्पादन हेतु भेजा गया	निर्णय तिथि	अन्तिम आदेश का संक्षिप्त विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

———

रा० ले० सं० 33
अनु० सं० 135 (2)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की पंजिका

जिलाधीश कार्यालय——————————————वर्ष——————

क्रमांक	प्रमाण-पत्र की संख्या (प्रपत्र रा० ले० सं० 32 के कोष्ठ सं० 1 के अनुसार)	( ) भेजने वाले प्राधिकारी का नाम व पद	दोषी बाकीदार का नाम व पूरा पता	लोक अभियाचन की राशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, तथा अवधि जिसके लिये उक्त अभियाचन देय है तथा वसूली व्यय जिसके लिये प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित किया गया	लोक अभियाचन जिसके लिये प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित किया गया के अन्य विवरण	वसूली का विवरण			
						चा० नं०	तिथि	राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 34
अनु० सं० 138

राजस्व विभाग

राजस्थान लोक अभियाचन भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली मामलों का त्रैमासिक विवरण-पत्र

नाम कार्यालय————————जिला————————त्रैमासिक————————वर्ष————————

नाम कार्यालय	पिछली बकाया		त्रैमास की अवधि में प्राप्त		योग		त्रैमास की अवधि में निर्णित					
							नकद वसूली		अन्य प्रकार से		योग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

त्रैमास के अन्त पर शेष		एक वर्ष से अधिक पुराने मामले		रु० 5,000/– से अधिक राशि के मामले		विशेष विवरण
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
14	15	16	17	18	19	20

रा० ले० सं० 35
अनु० सं० 139

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

राजस्थान लोक अभियाचन अधिनियम के अन्तर्गत वसूली मामलों की निष्पादन पंजिका

कार्यालय————————————जिला——————————वर्ष ——————

क्रमांक	पंजीकृत तिथि	जिलाधीश आदेश		सम्बन्धित विभाग अधिकारी का नाम व पद	दोषी बाकीदार का नाम व पूरा पता	बकाया राशि		कार्यवाही का सारांश	वसूली का विवरण				दिनांक अन्तिम निर्णय	विशेष विवरण
		क्रमांक	दिनांक			अवधि	राशि		चालान नं०	दिनांक	रकम	प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली मामलों की पंजिका

जिलाधीश कार्यालय——————————वर्ष——————

क्रमांक	पंजीबद्ध करने की तिथि	नाम अधिकारी जिससे वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ	दोषी बाकीदार का नाम व पूरा पता	बकाया राशि		नाम तहसीलदार जिसको वसूली हेतु भेजा गया	वसूली प्रगति का विवरण	दिनांक निर्णय	अन्तिम आदेश का संक्षिप्त विवरण वसूली चालान नम्बर दिनांक सहित	विशेष विवरण
				अवधि जिसके बारे में मांग दर्शायी है	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 37
अनु० सं० 141

राजस्व विभाग

क्रमांक एफ० (   ) जिराले/   दिनांक

प्रेषक:

जिलाधीश

प्रेषिति :

तहसीलदार

विषय:—श्री—————————पुत्र ——————— निवासी ————————
तहसील—————से रु०—————की वसूली के सम्बन्ध में।

उपरोक्त बाकीदार से रुपये ————————की वसूली हेतु ————————से प्राप्त प्रार्थना-पत्र संलग्न कर आपको आदेश दिया जाता है कि इस राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाकर कोष/उप-कोष में प्रार्थना-पत्र में निर्दिष्ट आय शीर्षक में जमा करवाई जाकर सम्बन्धित अधिकारी व इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

जिलाधीश

क्रमांक एफ० (   ) जिराले/   दिनांक

प्रतिलिपि———————————को उनके पत्रांक संख्या ——————— दिनांक ——————— के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि अग्रिम कार्यवाही व प्रगति के बारे में तहसीलदार से सम्पर्क स्थापित करें। तहसीलदार को वसूली में सहयोग व सहायता के लिये विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त करने की व्यवस्था की जावे।

जिलाधीश———————

रा० ले० सं० 38
अनु० सं० 141

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली मामलों की पंजिका

तहसील———————— जिला———————— वर्ष————

क्रमांक	पंजीकृत तिथि	जिलाधीश आदेश		सम्बन्धित विभाग/अधिकारी का नाम व पद	दोषी बाकीदार का नाम व पूरा पता	बकाया राशि		कार्यवाही का सारांश	वसूली का विवरण				दिनांक अन्तिम निर्णय	विशेष विवरण
		क्रमांक	दिनांक			अवधि	राशि		चालान नं०	दिनांक	रकम	प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

रा० ले० सं० 39
अनु० सं० 179

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

तकावी ऋणों की दैनिक वसूली पंजिका

तहसील-------------------जिला--------------------वर्ष-----------

	राशि जमा कराने का विवरण					न्यू तकावी ऋण के विभिन्न शीर्षक							
क्र०सं०	चालान संख्या	दिनांक	नाम ग्राम	नाम आसामी (ऋणी)	खाता संख्या	साधारण राजस्व	ग्रो मोर फूड (कुएं)	ट्रेक्टर	पम्पिंग सैट	परशियन व्हील	ट्यूब वैल	सी.डी.पी. एन.ई.एस.	जागीरदार पुनर्वास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

स्वर्णकार ऋण	रिहेबीलिटेशन	अकाल	फ्रूट डवलपमेन्ट	भू-संरक्षण (सोइल कनजरवेशन)	अग्नि/बाढ़	कृषि औजार	पक्का नाला	धोरा निर्माण	योग चालान	हस्ताक्षर तहसीलदार	विशेष विवरण
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

रा० ले० सं० 40
अनु० सं० 179

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

सूद तकावी की दैनिक वसूली पंजिका

तहसील———————— जिला———————— वर्ष————————

राशि जमा कराने का विवरण						सूद तकावी वसूली के विभिन्न शीर्षक							
क्र.सं.	चालान संख्या	दिनांक	नाम ग्राम	नाम आसामी (ऋणी)	खाता संख्या	साधारण राजस्व	ग्रो मोर फूड (कुए)	ट्रेक्टर	पम्पिंग सैट	परशियन व्हील	ट्यूबवैल	सी.डी.पी. एन.ई.एस.	जागीरदार पुनर्वास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

स्वर्णकार ऋण	रिहेबीलिटेशन	अकाल	फ्रूट डवलपमेन्ट	भू-संरक्षण (साइल कनजरवेटर)	अग्नि/बाढ	कृषि औजार	पक्का नाला	धोरा निर्माण	योग चालान	हस्ताक्षर तहसीलदार	विशेष विवरण
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

तकावी अभियाचन संग्रह का मानचित्र

माह———————तहसील———————जिला———————

क्रम सं०	तकावी शीर्षक	देय मांग				विगत माह तक वसूल				चालू माह में वसूल			
		बकाया	चालू		योग	बकाया	रबी	खरीफ	योग	बकाया	रबी	खरीफ	योग
			रबी	खरीफ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

कुल योग वसूली				अवशेष देय मांग				प्रतिशत वसूली					विशेष विवरण
बकाया	रबी	खरीफ	योग	बकाया	रबी	खरीफ	योग	बकाया	रबी	खरीफ	योग	कुल योग	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

रा० ले० सं० 42
अनु० सं० 186

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

तकावी ऋण वितरण व वसूलियों का मासचित्र

माह———————तहसील———————जिला———————

क्र० सं०	तकावी शीर्षक	कुल प्रारम्भिक बेलेन्स विगत माह के अन्त पर	माह में वितरण हेतु प्राप्त राशि		वितरण की गई राशि	योग कोष्ठ सं० 3 व 5	माह में वसूल/रिफन्ड कुल राशि दैनिक वसूली चालान-वार रोकड़ के अनुसार	माह के अन्त पर अवशेष कुल राशि	विशेष विवरण
			ट्रेजरी चा० सं०	राशि व तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

रा० ले० सं० 43
प्रनु० सं० 194

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

पचायत समिति तकावी माँग संग्रह प्रवशेष का मासिक मानचित्र

तहसील————————जिला————————मास————————

क्र०सं०	ग्राम पंचायत समिति	पंचायत समिति से मांग प्राप्ति तिथि	ऋण मांग			गत माह तक संग्रह			(शेष) चालू माह में संग्रह		
			दीर्घकालीन	अल्पकालीन	अन्य	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	अन्य	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(प्रतिशत वसूली) कुल संग्रह			शेष			प्रतिशत वसूली			विशेष विवरण
दीर्घकालीन	अल्पकालीन	अन्य	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	अन्य	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	अन्य	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

भू-राजस्व प्राप्तियों की मासिक संकलन पंजिका

कार्यालय जिलाधीश———————————मास———————————

क्रमांक	नाम तहसील कार्यालय	अधिभार के अतिरिक्त भू-राजस्व	भू-राजस्व पर अधिभार	सरकारी भू-सम्पत्तियों का विक्रय	बंजड़ भूमि के विक्रय से आय और भूमि कर की वसूली	भूतपूर्व जमींदारी भू-संपत्तियों के प्रबन्ध से होने वाली प्राप्तियां			
						जागीर भूमियों से भू-राजस्व	उपहार (ट्रिब्यूट)	मातमी और हुक्मनामा	भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्ग्रहीत जागीरों से आमदनी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
मासिक योग									
घटाइये प्रत्यार्पण									
मासिक शुद्ध योग									

भूमियों पर स्थानीय कर तथा उप-कर	खेतों के एकीकरण से शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां	अधिक भुगतान की वसूली	सेवाओं के प्रति भुगतानों का संग्रहण	विविध					योग तहसील कार्यालय	विशेष विवरण
				भूमि पंजीयन शुल्क	नमक के लिये शुल्क	पुरेजात मिल्कियत से आय	अतिक्रमण नियमन से आय	विविध		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

राजस्व लेखाकार

जिलाधीश———————

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 45
अनु० सं० 210

राजस्व विभाग

भू-राजस्व शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण-पत्र

मास—————————— जिला——————————

विस्तृत शीर्षक	आय-व्ययक अनुमान	पूर्व अंक		मास के मध्य प्राप्तियां		अन्तर	अन्तर की शुद्धि	उत्तरोत्तर योग		विशेष विवरण
		कोष अंक	विभागीय अंक	कोष अंक	विभागीय अंक			कोष अंक	विभागीय अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क) साधारण राजस्व:—										
1. अधिभार के अतिरिक्त भू-राजस्व										
2. भू-राजस्व पर अधिभार										
(ख) सरकारी भू-सम्पत्तियों का विक्रय										
(ग) बंजड़ भूमि के विक्रय से आय और भूमि कर की वसूली										
(घ) भूतपूर्व जमींदारों/भू-सम्पत्तियों के प्रबंध से होने वाली प्राप्तियां:—										
1. जागीर भूमियों से भू-राजस्व										
2. उपहार (ट्रिब्यूट)										
3. मातमी और हुक्मनामा										
4. भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्ग्रहीत जागीरों से आमदनी										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ङ) भूमियों पर स्थानीय कर तथा उप-कर										
(च) खेतों के एकीकरण से शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां										
(छ) अधिक भुगतानों की वसूली										
(ज) सेवाओं के प्रति भुगतानों का संग्रहण										
(झ) विविध:—										
1. भूमि पंजियन शुल्क										
2. नमक के लिये क्षतिपूर्ति										
3. पूरेजात मिल्कियत से आय										
4. अतिक्रमण के नियमन से आय										
5. विविध										
योग										
घटाइये प्रत्यार्पण										
शुद्ध योग										

सत्यापित

राजस्व लेखाकार

कोषाधिकारी———— जिलाधीश————

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 46
अनु० सं० 211

राजस्व विभाग

अन्य आय शीर्षकों की मासिक आय संकलन पंजिका

कार्यालय जिलाधीश———————————— मास————————————

क्रमांक	नाम तहसील	आय शीर्षक										योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		मासिक योग											
		घटाइये प्रत्यार्पण											
		मासिक शुद्ध योग											

173

राजस्व लेखाकार

जिलाधीश————————————

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 47
अनु० सं० 217

राजस्व विभाग

भू-राजस्व अभियाचन संग्रह अवशेष संकलन पंजिका

शीर्षक————————उप/विस्तृत शीर्षक————————जिला————————माह————————वर्ष————

क्रम सं०	नाम तहसील कार्यालय	अभियाचन				गत माह तक संग्रह				चालू माह का संग्रह				कुल संग्रह			
		बकाया	रबी	खरीफ	योग	बकाया	चालू			बकाया	चालू			बकाया	चालू		
							रबी	खरीफ	योग		रबी	खरीफ	योग		रबी	खरीफ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

अवशेष				वसूली अयोग्य राशि			वसूली योग्य अवशेष			प्रतिशत वसूली			विशेष विवरण
बकाया	चालू												
	रबी	खरीफ	योग	बकाया	चालू	योग	बकाया	चालू	योग	बकाया	चालू	योग	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

रा० ले० सं० 48
अनु० सं० 229

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

भू-राजस्व एवं अन्य अभियाचनों की संकलन पंजिका

जिला———————————————वर्ष— ——————शीर्षक/उप-शीर्षक/वर्ग———————————————

क्रम सं०	नाम तहसील	प्राप्त तिथि	स्वीकृति तिथि	गत वर्ष की मांग	चालू वर्ष की मांग	हस्ताक्षर जिलाधीश	पूरक मांग	चालू वर्ष की कुल मांग	हस्ताक्षर जिलाधीश	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

टिप्पणी:—अस्थायी भू-राजस्व मांग के सम्बन्ध में कोष्ठ सं० 5 में गत तीन वर्षों की औसत मांग के अंक दर्ज होंगे।

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 49
अनु० सं० 237

राजस्व विभाग

वरिष्ठ राजस्व लेखाकार द्वारा किए गए निरीक्षणों का वार्षिक विवरण-पत्र

क्रमांक	नाम तहसील	निरीक्षण तिथियां	निरीक्षण वृत्तान्त भेजने का क्रमांक व दिनांक	राजस्व हानि एवं न्यून प्राप्तियों की राशि	अनुपालना प्रति-वेदन प्राप्ति क्रमांक व दिनांक	निरीक्षण वृत्तान्त की अन्तिम अनुपालना प्राप्त हो चुकी है अथवा नहीं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 50
अनु सं० 238 व 253

राजस्व विभाग

तहसील व पटवार राजस्व लेखा निरीक्षण पंजिका

नाम तहसील———————————— जिला————————————

क्रमांक	नाम निरीक्षण अधिकारी	नाम पटवार मण्डल जिनका निरीक्षण किया गया	निरीक्षण की तिथियां	निरीक्षण वृत्तान्त प्रेषण/ प्राप्ति का प्रसंग	राशि राजस्व हानि व न्यून प्राप्तियां
1	2	3	4	5	6

अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्ति / प्रेषण का विवरण		विशेष विवरण	जिला कार्यालय की टिप्पणी का प्रसंग	अंतिम पालना प्रेषण/प्राप्ति का विवरण		विशेष विवरण
क्रमांक	दिनांक			क्रमांक	दिनांक	
7	8	9	10	11	12	13

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 51
अनु० सं० 239

राजस्व विभाग

राजस्व हानि एवं न्यून प्राप्तियों की वसूली पंजिका

नाम तहसील———————————— जिला————————————

क्रमांक	निरीक्षण अधिकारी का नाम	निरीक्षण तिथियां	निरीक्षण वृत्तान्त अनुच्छेद संख्या	कुल राशि	नाम ग्राम	नाम आसामी
1	2	3	4	5	9	7

राजस्व हानि की		ढाल-बांछ का प्रसंग, क्रमांक व वर्ष सहित	मास जिसमें मांग डी० सी० बी० नकशे में पकड़ी गई	वसूली का विवरण चालान			विशेष विवरण
प्रकार	राशि			नम्बर	दिनांक	राशि	
8	9	10	11	12	13	14	15

टिप्पणी:—जो मांग सक्षम अधिकारी के आदेश से निरस्त की जावे उसका उल्लेख खाना स्याही से कोष्ठ संख्या 14 में किया जाकर विशेष विवरण के खाना में आदेश का प्रसंग दर्ज किया जावे ।

———

राजस्थान सरकार

रा० लै० सं० 52
अनु० सं० 249

राजस्व विभाग

राजस्व हा.नि एवं न्यून प्राप्तियों की वसूली का त्रैमासिक विवरण-पत्र

नाम तहसील/जिला———————— त्रैमास ———————— वर्ष ————

नाम तहसील	गत तिमाही के अन्त पर शेष राशि		चालू तिमाही में प्राप्त निरीक्षण वृतान्तों की राशि	योग कोष्ठ सं० 2 व 4	राशि जिसकी मांग निर्धारण की गई	राशि जिसका निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया	निर्धारण से शेष राशि [5–(6–7)]	वसूली योग्य (3 – 9)	तिमाही में वसूली	वसूली से शेष राशि	विशेष विवरण
	निर्धारण से	वसूली से									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० **53**
अनु० सं० 53

राजस्व विभाग

जिला राजस्व लेखा शाखा के उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों की पंजिका

वर्ष—————

जिला—————

क्रमांक	निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण वृत्तान्त प्राप्त की तिथि	अनुच्छेदों की कुल संख्या	अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के क्रमांक व दिनांक	अनुपालना प्रतिवेदन पर यदि कोई टिप्पणी प्राप्त हुई हो तो उसका प्रसंग	अंतिम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के क्रमांक व दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 54
अनु० सं० 265

राजस्व विभाग

सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों की पंजिका

वर्ष———————

क्रमांक	नाम कार्यालय जिसका निरीक्षण किया गया	नाम पटवार मण्डल जिसका लेखा जांचा गया	तारीख निरीक्षण	निरीक्षण वृत्तान्त		विशेष विवरण
				राजस्व मण्डल/सम्बन्धित अधिकारी को भेजने का		
				क्रमांक	तिथि	
1	2	3	4	5	6	7

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 55
अनु० सं० 266

राजस्व विभाग

सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वारा राजस्व लेखा की जांच के परिणाम-स्वरूप निकाली गई राजस्व हानि एवं न्यून प्राप्तियों की पंजिका

नाम जिला ———— नाम तहसील ———— वर्ष ————

क्रमांक	तारीख निरीक्षण	नाम पटवार मण्डल	नाम ग्राम/ चक	नाम आसामी जिससे वसूल की जानी है	राजस्व हानि		वर्ष जिससे सम्बन्धित है	संक्षिप्त कारण	विशेष विवरण
					प्रकार	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 56
अनु० सं० 267

राजस्व विभाग

सहायक लेखाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों एवं निकाली गई राजस्व हानि/न्यून प्राप्तियों का त्रैमासिक विवरण-पत्र

त्रैमास ———————— वर्ष ————

क्रमांक	कार्यालय जिसके राजस्व लेखा का निरीक्षण किया गया	तिथि निरीक्षण	राजस्व हानि एवं न्यून प्राप्तियां		विशेष विवरण
			राशि	प्रकार	
1	2	3	4	5	6

राजस्थान सरकार

रा० ले० सं० 57
अनु० सं० 268

राजस्व विभाग

दैनिक डायरी (दिनचर्या बही) सहायक राजस्व लेखाधिकारी

मास———————— वर्ष————

दिन और तिथि	कार्य का संक्षिप्त विवरण
1	2

APPENDIX 1

(See Para 25)

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Rules. 1961 Tank-Bed Lands for Cultivation)

2. *Interpretation.*—In these rules, unless the subject or context otherwise requires—

(*1*) "the Act" shall mean the Rajasthan Land Revenue Act, 1956,

(*2*) "fragment" shall mean a piece of land less in area than the minimum prescribed by the State Government for the purpose of sub-section (1) of section 53 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955,

(*3*) 'landless person" shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold any land, whether in his own name or in the name of any member of his joint family, or holds a fragment,

(*4*) "tank-bed lands" shall mean Government lands situated in the beds of tanks or rivers, other than such lands in which khatedari rights had accrued prior to the amendment of clause (ii) of section 16 of the Tenancy Act by the Rajasthan Revenue Laws (Extension) Act, 1957 (Rajasthan Act 2 of 1958) and other than lands held on ghair khatedari tenure,

(*5*) "Tenancy Act", shall mean the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955).

(*6*) words and expressions defined in the Act or in the Tenancy Act shall, wherever used in these rules, be construed to have the meanings assigned to them by the said Act.

5. *Entry of applications in register, and enquiry by Tehsildar*:—The Tehsildar shall record the exact date and time of receipt of each application on the application and enter the applications in a register to be maintained for the purpose and he shall check the particulars given in the application with the entries existing in the annual registers and other tehsil records, and he may make such enquiries as he deems fit in regard to the applicant's matters.

6. *Order of priority for allotment.*—(*1*) If there is only one applicant for a particular plot of land and no other, it shall be allotted to him, if he is eligible for allotment under these rules.

(*2*) If there are more than one applicant for the same plot of land, the order of priority shall be—

(*i*) a person who cultivated the particular plot in the preceding year,

(*ii*) a person who has absolutely no land,

(*iii*) a person who holds a fragment,

(*iv*) a person belonging to the scheduled tribes, or scheduled caste or backward classes.

Provided that where other qualifications are equal, the matter shall be decided by drawing lots.

7. *Allotment to be in consultation with Advisory Committee.*— The allotment shall be made by the Tehsildar in consultation with the Advisory Committee appointed for the tehsil under rule 13 of Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural purposes) Rules, 1957; and the provisions of sub-rule (5) of the said rule shall apply.

8. *Extent of area to be allotted.*—The maximum area to be allotted to each successful applicant shall be five bighas, inclusive of any land already held by him elsewhere in the village.

9. *Conditions of allotment.*—(*1*) No premium shall be charged and the rent to be charged shall be—

(*i*) where rent in respect of such land has been settled, the rent-rate sanctioned therefor during the last settlement, and

(*ii*) where rent in respect of such land has not been settled the rent-rate sanctioned during the last settlement for similar nehri or talabi or kachhar or khatli land, as the case may be, in the neighbourhood or in the village.

(2) The land shall be allotted on ghair khatedari tenure for a period of one year only, whereafter the land shall be available for re-allotment in accordance with these rules.

10. *Appeals.*—Any person aggrieved with the Tehsildar's order of allotment or an order rejecting an application for allotment may appeal to the Collector within thirty days of such order.

11. *Repeal.*—The executive instructions for the allotment of Government lands situated in the beds of tanks for cultivation issued under Revenue Department's Circular No. F. 6 (256)/Rev./B/54, dated 20th January, 1959 are hereby repealed.

परिशिष्ट सं० 2

(अनु० सं० 33)

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

नियम सं० 14—आवन्टन की शर्तें :—(1) इन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन, 10 वर्षों के पर्यवसान के पश्चात् अन्ततः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के अधिकार के साथ, गैर खातेदारी टीनेन्सी पर होगा बशर्ते कि वंटिति इस कालावधि के दौरान जब तक खातेदारी अधिकार प्रदान न कर दिये जाएं, आवंटन के निबन्धन एवं शर्तें पूरी करे। वंटिती टीनेन्सी एक्ट के अधीन गैर खातेदार टीनेन्ट के समस्त अधिकारों का हकदार और समस्त दायित्वों के अधीन होगा ।

(2) भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से, अथवा यदि आवेदित तथा आवंटित भूमि के संबंध में लगान दर निर्धारित नहीं की गई है, तो असिंचित भूमि के लिये गांव में वारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिंचित भूमियों के लिये, यथास्थिति, चाही या नहरी दर से आवंटन के प्रथम वर्ष से, लगान देय होगा ।

(3) वंटिति को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में :

परन्तु तहसीलदार द्वारा यह कालावधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, यदि अदृष्ट पूर्व कारणों से जिन पर वंटिति का कोई नियंत्रण नहीं था, वह अनुबद्ध कालावधि के भीतर भूमि जोतने में असमर्थ रहा हो।

(4) सब-डिविजनल अधिकारी द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर रद्द करने की कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन (Misrepresentation) के जरिये प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरुद्ध किया गया हो अथवा यदि वंटिति ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्तों को भंग किया हो :

परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा ।

(5) वंटिति भूमि पर विद्यमान कुओं तथा स्थायी संरचनाओं, यदि कोई हों, का मुख्य और टीनेन्सी एक्ट की धारा 80 तथा 81 के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित दरों से भूमि पर खड़े पेड़ों का मूल्य भी राज्य सरकार को देगा ।

(6) खातेदारी अधिकारों के अर्जन से पूर्व वंटिति टीनेन्सी एक्ट की धारा 5 के खण्ड 19 द्वारा यथापरिभाषित "सुधार" के अर्थान्तर्गत आने वाले जलाशय, कुए या निवास गृह के अतिरिक्त कोई अन्य स्थायी संरचनाओं या भवनों का निर्माण नहीं करेगा ।

(7) जयपुर नगर की 10 मील की परिधि के भीतर स्थित भूमि के मामले में वंटिति 15 रुपये 25 पैसे प्रति बीघा की दर से पेड़ों का मूल्य भी देगा :

परन्त भूमि के एक बीघा में खड़े पेड़ो की संख्या 5 से कम होने पर ऐसा कोई भी मूल्य नहीं लिया जायेगा ।

(8) प्रतिकर (Compensations) का संदाय किये बिना भूमि राज्य सरकार द्वारा पुनर्गृहीत की जा सकेगी, यदि—

(क) आवंटन की शर्तों के सर्वथा अनुरूप उस पर कृषि नहीं की गई है और समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया है ।

(ख) गैर खातेदार आसामियों पर लागू टीनेन्सी एक्ट के उपबन्धों के उल्लंघन में वह उप-पट्टे पर दे दी गई है या अन्तरित कर दी गई है ।

(ग) यह पाया जाता है कि वंटिति टीनेन्सी एक्ट में यथा परिभाषित भूमिहीन व्यक्ति नहीं था ।

(घ) वंटिति नियम के खण्ड 5 में निर्देशित मूल्य तथा/अथवा वार्षिक लगान के यथा समय संदाय में व्यक्ति कम करता है अथवा

(ड़) वंटिति आवंटन के नियमों के उल्लंघन में भूमि पर सन्निर्माण करता है ।

15. आवंटन का आदेश:—(1) आवंटन का आदेश पारित होते ही सब-डिवीजनल अधिकार—

(क) पटवारी को उसी समय वही आवश्यक सूचना देगा, यदि पटवारी वहां उपस्थित हो और

(ख) आवंटित भूमि का कब्जा तत्काल वंटिति को सौंपने के लिये पटवारी को निर्देश देगा.

(ग) जहां आवंटन के आदेश की तारीख से एक माह के भीतर आवंटित भूमि का कब्जा वंटिति को वास्तव में नहीं दिया जाय तो वह कलक्टर को आवेदन करेगा जो आदेश को प्रवर्तित करेगा जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक न दिया गया हो ।

(2) आवंटन का आदेश प्रपत्र 5 में होगा और भूमि के अनुरेख (Trace) सहित उसकी एक प्रति वंटिति को दी जायेगी और तदर्थ पांच रुपये की फीस वसूल की जायगी और शीर्षक "9-भू-राजस्व (जा) विविध-7 विविध में जमा की जायेगी ।

16. पंचायतों तथा पंचायत समितियों के लिये भूमि का आवंटन:—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी भूमि पंचायतों एवं पंचायत समितियों को आवेदन करने पर निम्नांकित शर्तों पर आवंटित की जायेगी:—

(क) पंचायत समितियां—पचास एकड़ तक आवंटन कलक्टर की सिफारिश पर, सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(ख) पंचायत—दस एकड़ तक आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से सब-डिविजनल अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

इस नियम के अधीन आवंटित समस्त भूमियों, कृषि प्रयोजनों के लिए काम में ली जायेगी, लगान स्वीकृत लगान दर से चुकाया जायगा और उससे होने वाली आय क्षेत्र के सुधार एवं विकास के लिये उपयोग में ली जायेगी ।

17. सरकार द्वारा आवंटन:—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी सरकार के राजस्व विभाग को, अधिनियम की धारा 101 के उपबन्ध और नियम 14 में अन्तर्विष्ट आवंटन की शर्तों के अध्यधीन किसी भी व्यक्ति को भूमि आवंटन करने की शक्ति होगी ।

18. खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया:—इन नियमों के अधीन वंटिति खातेदारी अधिकारी प्रदान करने के निमित्त सब डिविजनल अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जो आवश्यक जांच के पश्चात ऐसे प्रदान के निमित्त आदेश पारित कर सकेगा अथवा आवेदन-पत्र को प्रतिक्षेपित (Reject) कर सकेगा जैसा भी वह उचित समझे ।

19. आसामियों के खेतों के साथ लगी हुई अनधिकृत भूमि के छोटे टुकडों (Strips) अथवा खण्डों (Fatches) का आवंटन:—पूर्वगामी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, किसी

खातेदार आसामी के खेत के साथ लगा हुआ भूमि का कोई छोटा टुकड़ा अथवा खण्ड जो प्रमाप (Standard) क्षेत्रफल के एक-तिहाई से अधिक न हो, ऐसे आसामी द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर सब-डिविजनल अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से खातेदारी आधार पर उसे आवंटित किया जा सकेगा और प्रपत्र-5 में आवंटन के आदेश एक प्रतिलिपि 5 रुपये की फीस वसूल करके वंटित को दी जा सकेगी और विहित नामान्तरण फीस प्राप्त होने पर नामान्तरण मंजूर कर दिया जायेगा:

(1) परन्तु शर्त यह है कि ऐसे छोटे टुकड़े अथवा खण्ड की भूमि चरागाह भूमि या श्मशान भूमि या कब्रिस्तान, या खेल के मैदान अथवा किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जित भूमि के रूप में अभिलिखित न की गई हो ।

(2) एक से अधिक खातेदार आसामियों के खेतों के साथ लगा हुआ भूमि का छोटा टुकड़ा अथवा खण्ड ऐसे टुकडों या खण्ड के आवंटन के लिये ऐसे एक से अधिक आसामियों द्वारा आवेदन करने पर नीलाम किया जायेगा और ऐसे नीलाम में बोली संलग्न खेतों के ऐसे खातेदार आसामी ही लगा सकेंगे जिनके खेत आकार में अधिक संहृत (Con-pact) या नियमित होकर उनमें इससे समुचित अभिवृद्धि हो और ऐसा छोटा टुकड़ा अथवा खण्ड अगले उत्तरवर्ति खण्ड के उपबन्धों के अध्यधीन उच्चतम बोली लगाने वाले को दिया जायेगा ।

(3) ऐसे आसामी द्वारा पहिले से ही धारित भूमि का कुल क्षेत्रफल आवेदित भूमि के छोटे टुकड़े अथवा खण्ड के क्षेत्रफल को मिलाकर ऐसे खातेदार आसामी के लिये लागू अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा और

(4) आसामी लागू स्वीकृत लगान दर से ऐसे छोटे टुकडे अथवा खण्ड के लिये लगान संदाय करने के लिए सहमत हो जाय अथवा यदि भूमि ऐसी है जिन पर लगान निर्धारित नहीं किया गया है तो लगान संदाय संलग्न भूमि की निम्नतम बारानी दर से और यदि नीलाम नहीं किया गया हो तो नियम 20 के अधीन्तिर्गत प्रीमियम के संदाय के लिये अथवा यदि नीलाम किया गया हो तो नीलाम से प्राप्त हुए धन और प्रीमियम के अन्तर मे संदाय के लिये सहमत हो जाय ।

20. अतिचारियों के कतिपय मामलों का विनियमन:—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी और सरकार के विशिष्ट अथवा सामान्य अनुदेशों के अध्यधीन उप-जिलाधीश सलाहकार समिति के परामर्श से अतिचारी द्वारा अभिग्रत (Occupied) भूमि से उसे बेदखल करने के बदले प्रीमियम एवं शास्ति का संदाय करने पर ऐसी भूमि रखे रखने के लिये उसे अनुज्ञात कर सकेगा यदि वह भूमिहीन व्यक्ति है और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उसके द्वारा अभिग्रत क्षेत्र 15 बीघा असिंचित अथवा 5 बीघा सिंचित भूमि से अधिक नहीं है तथा भूमियों के ऐसे किसी भी प्रवर्गम नहीं आता है जो इन नियमों के अधीन आवंटन के लिये उपलब्ध न हो ।

विनियमन के उपरांत अतिचारी इन नियमों में यथा अधिकथित आवंटन की शर्तों द्वारा आबद्ध होगा और खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जायेंगे मानो इन नियमों के अधीन यह आवंटन का मामला हो।

वसूल की जाने वाली प्रीमियम की राशि विनियमित भूमि के लगान 20 गुने के बराबर होगी और शास्ति प्रत्येक वर्ष के लगान की 15 गुनी होगी।

21. निरसन तथा व्यावृति:—राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 27, सन् 1954) के अधीन निर्मित नियमों को छोड़कर खेती के लिये कृषि भूमि के आवंटन के संबंध में समस्त परिनियत तथा अपरिनियत तथा अपरिनियम नियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु उक्त निरसन किये गये किसी भी आदेश की गई कार्यवाही तद्धीन की गई अथवा मुक्त किसी भी बात के प्रभावों, परिणामों अथवा तद्धीन पहिले से ही अर्जित प्रोद्भूत या उत्पन्न किसी भी आधार, स्वत्व विशेषाधार बाध्यता या दायित्व अथवा उसके संबंध में की गई किसी भी जांच, सत्यापन या कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा ।

प्रपत्र 5

(देखिये नियम 15)

अनधिकृत सरकारी भूमि के आवंटन का आदेश

1. वंटिति का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... आयु .....

2. अनधिकृत भूमि के आवंटन के लिए प्रपत्र 4 में आवेदन-पत्रों के रजिस्टर के स्तम्भ 3 में यथा अभिलिखित आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख और समय ।

3. आवंटन आदेश की तारीख और स्थान ।

4. आवंटित भूमि की विशिष्टयां ।

(1) गांव का नाम ।

(2) प्रपत्र 1 में वर्णित 30 सितम्बर, 19 तक अनधिकृत सरकारी भूमियों की शुद्धकृत सूची में प्रविष्टि का हवाला ।

(3) आवंटित भूमि खसरा संख्या ।

(4) आवंटित भूमि का बीघों/एकड़ों में क्षेत्रफल ।

(5) मृदा वर्गीकरण ।

(6) ब्यौरे सहित सिंचाई के साधन, यदि कोई हों ।

5. नियम 14 (5) में निर्दिशित भूमि पर विद्यमान कुओं, विद्यमान स्थायी संरचनाओं और उस पर उगे हुए पैड़ों, यदि कोई हों, का मूल्य उस तारीख सहित जब वंटिति द्वारा संदाय किया जाना है ।

6. संदेय वार्षिक लगान ।

7. आवंटन की शर्तें:—(1) आवंटन 10 वर्षों की कालावधि के पर्यवसान के पश्चात् अंततः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के अधिकार सहित गैर खातेदारी टीनेन्सी पर होगा बशर्ते कि वंटिति इस कालावधि के दौरान आवंटन के निबन्धनों एवं शर्तों को पूरी करें। जब तक खातेदारी अधिकार प्रदान न किये जायें, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 के अधीन वंटिति को गैर खातेदार आसामी के समस्त अधिकार होंगे और गैर खातेदार आसामी के समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा ।

(2) आवंटन नियम 14 (2) के अनुसार भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दरों से वार्षिक लगान के संदाय के अध्यधीन है । वार्षिक लगान प्रत्येक वर्ष ..... को या उससे पूर्व संदाय किया जायेगा ।

(3) वंटिति आवंटन के वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत भूमि पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में खेती करेगा ।

(4) वंटिति खातेदारी अधिकारों के अर्जन से पूर्व टीनेन्सी एक्ट की धारा 5 के खण्ड 19 द्वारा यथा परिभाषित "सुधार" की परिभाषा के भीतर आने वाले जलाशय, कुआ अथवा निवास गृह के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्थायी संरचना या भवनों का निर्माण नहीं करेगा ।

(5) भूमि प्रतिकर का संदाय किए बिना राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहीत की जा सकेगी, यदि (क) इस पर आवंटन की शर्तों के पूर्णतः अनुसार खेती नहीं की गई है और इसका उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है, (ख) यह गैर खातेदारी आसामियों पर लागू करना टीनेन्सी एक्ट के उपबन्धों के उल्लंघन में उप-पट्टे पर देदी गई है या अंतरित कर दी गई है, (ग) यह पाया जाय कि वंटिति टीनेन्सी अधिनियम में यथा परिभाषित भूमिहीन व्यक्ति नहीं था, (घ) वंटिति नियम 14 के खण्ड 5 में निर्दिष्ट मूल्य तथा अथवा वार्षिक लगान के यथा समय संदाय में व्यक्तिक्रम करता है या (ङ) वंटिति आवंटन नियमों के उल्लंघन में भूमि पर संक्रिमार्ण करता है ।

सब-डिविजनल अधिकारी की मुहर

सब-डिविजनल अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख .....

परिशिष्ट सं० 3

[अनु० सं० 34 (3)]

नामान्तरकरण शुल्क तालिका

1. राजस्थान टीनेन्सी एक्ट (1955 का राजस्थान अधिनियम नं० 3 जिसे आगे इस सारिणी में "अधिनियम" या "एक्ट" कहा जायगा) की धारा नं० 40 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों के उत्तराधिकार पर।	वार्षिक लगान पर दो नया पैसा प्रति रुपया परन्तु प्रत्येक खाने पर कम से कम 1) रु० ।
2. (क) "एक्ट" की धारा के अथवा तत्कालीन प्रभावशील किसी भी कानून के अन्तर्गत जागीर के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति पर अथवा जमीनदारी तथा बिस्वेदारी भू-सम्पत्तियों के उन्मूलन पर "मालिक" के अधिकारों की प्राप्ति पर।	वार्षिक लगान पर 5 प्रतिशत परन्तु प्रत्येक नामान्तरकरण पर कम से कम 1) रु० ।
(ख) "एक्ट" की धारा 15 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति पर।	वार्षिक लगान पर 5 प्रतिशत परन्तु प्रत्येक नामान्तरकरण पर कम से कम 1) रु० ।
(ग) "एक्ट" की धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारियों की प्राप्ति पर।	वार्षिक लगान पर 5 प्रतिशत परन्तु प्रत्येक नामान्तरकरण पर कम से कम 1) रु० ।
3. "एक्ट" की धारा 15 की उप-धारा (5) के, अथवा धारा 15-क की उप-धारा (2) के, अथवा धारा 15-क की उप-धारा (2) के, अथवा धारा 19 की उप-धारा (1-क), अथवा धारा 19 की उप-धारा (2) के अथवा धारा 89 के, अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा पर।	1) रु० प्रति खाना।
4. "एक्ट"" की धारा 42 के अन्तर्गत बेचान या बख्शीश के परिणाम-स्वरूप, अथवा बिना कब्जे वाली (गैर मकबूजा) सरकारी, कृषि भूमि किन्ही नियमों के अन्तर्गत सरकार से अलाटमेंट या बेचान द्वारा, खातेदार द्वारा खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति पर।	1) रु० प्रति नामान्तरकरण।
5. (क) "एक्ट" की धारा 43 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत रहन बिल कब्ज पर।	वार्षिक लगान का 5 प्रतिशत परन्तु प्रत्येक नामान्तरकरण पर कम से कम 1) रु० ।
(ख) "एक्ट" की धारा 43 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कुल रहन (रहन छुड़ाना) पर।	वार्षिक लगान का 5 प्रतिशत परन्तु प्रत्येक नामान्तरकरण पर कम से कम 1) रु० ।
(ग) "एक्ट" की धारा 19 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को अधिकार मिले हों उसके द्वारा धारा 43 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत रहन रखने पर।	प्रत्येक नामान्तरकरण पर 1) रु० ।
(घ) "एक्ट" की धारा 43 की उप-धारा (9) के अन्तर्गत लैण्ड मारगेज बैंक अथवा सहकारी समिति के हक में सादा रहन किये जाने पर।	प्रत्येक नामान्तरकरण पर 1) रु० ।

6. "एक्ट" की धारा 49 अथवा 49-क के अन्तर्गत अथवा अन्य प्रकार से विनिमय (अदला-बदली) पर।	प्रत्येक खाते पर 1) रु०।
7. "एक्ट" की धारा 53 के अन्तर्गत खाते के विभाजन पर।	प्रत्येक खाते पर 1) रु०।
8. "एक्ट" की धारा 55 या 57 के अन्तर्गत भूमि वापिस सौंप देने (Surrender) पर।	प्रत्येक नामान्तरकरण पर 1) रु०।
9. "एक्ट" की धारा 174 या 175 या 177 या 180 के अन्तर्गत बेदखली के द्वारा भूमि के वापस मिल जाने (Reversion) पर।	प्रत्येक नामान्तरकरण पर 1) रु०।
10. "एक्ट" की धारा 177 या 177-ख के अन्तर्गत वापिस कब्जा करा दिये जाने (Re-instatement) पर।	प्रत्येक नामान्तरकरण पर 1) रु०।
11. "एक्ट" की धारा 196 के अन्तर्गत उपवन धारी के हित का हस्तांतर (इन्तकाल) या अवितरण (एक के बाद दूसरी की प्राप्ति)	वार्षिक लगान पर 2 न० पै० प्रति रु० परन्तु प्रत्येक खाते पर कम से कम 1) रु०।
12. राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15)-की धारा 90,क और उसके नीचे बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने पर।	1) रु० प्रति नामान्तरकरण।
13. राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 100 या 101 या 102 के अथवा राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट, 1954 (1954 के राजस्थान एक्ट सं० 27) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा सरकार से बेचान या अलाटमेंट द्वारा अवाप्ति (Acquisition) पर।	1) रु० प्रति नामान्तरकरण।
14. रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर अथवा न्यायालय की आज्ञा से किये गये नामान्तरण पर।	1) रु० प्रति नामान्तरकरण।
15. पिछले अधिकार अभिलेख (मिसल हकीकत) में गलतियों की मामूली दुरुस्ती, यदि उसमें कोई नया अधिकार नहीं मिलता हो।	कोई फीस नहीं।
16. सरकार के हक में भूमि का रहन अथवा ऐसे रहन का फक रहन	कोई फीस नहीं।
17. राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट, 1953 (1953 का 24 वां) के अन्तर्गत अथवा जागीरों के पुनग्रहण या जमीनदारी या बिस्वेदारी भू-सम्पत्तियों के उन्मूलन द्वारा सरकार द्वारा अवाप्त भूमि संबंधित नामान्तरण पर।	कोई फीस नहीं।
18. सरकार के पक्ष में इन्द्राजों की दुरुस्ती।	कोई फीस नहीं।
19. ऐसे किसी भी किस्म के नामान्तरण पर जिसे कि सरकार नामान्तरण फीस से मुक्त घोषित करदे।	कोई फीस नहीं।

APPENDIX No. 4.

[*See para 35 (1)*]

The Rajasthan Land Revenue (Allotment of the Occupied Government Lands for Lime-Kilns) Rules, 1965

4. *Period of lease.*—The period of lease shall not exceed five years, subject to renewal, at the option of the allottee, for a further period of five years.

5. *Rent to be paid.*—(*1*) The rent to be charged shall be rupees forty per bigha or part of a bigha, per annum and shall be payable in advance alongwith the application when sanctioned and on the expiry of each year of lease.

(*2*) No premium of royalty or water-rate shall be charged.

6. *Form of application for allotment.*—An application for allotment of land for a lime-kiln under these rules shall be submitted to the Tehsildar of the tehsil in which the land is situated in Form A appended to these rules.

7. *Enquiry and disposal of application.*—(*1*) The Tehsildar after calling for a report from the Patwari of the circle in which the land is situated and after making such enquiry as he deems fit, shall submit the case with his recommendation to the Collector in Part II of Form A.

(*2*) The Collector may either reject the application after giving an opportunity of being heard to the applicant, or sanction the allotment under the power delegated to him by the State Government by Notification No. F. 6 (18) Rev/65, dated 24th February, 1965.

[1][(*2-A*) If the allotment is sanctioned, an order in Form B appended to these rules shall be issued and the Tehsildar shall be directed to arrange to realise the rent and enforce fulfilment of the terms and conditions contained in the rules.]

(*3*) Every application for allotment under these rules shall be disposed of within one month from the date of its receipt.

---

1. Added by Notification No. 6 (18) Rev/B/65, dated 14th June, 1966, published in Rajasthan Gazette, Part IV-C, dated 23rd February, 1967.

FORM B

[*See rule 7 (2-A)*]

Form of Order

ORDER

Subject:—Allotment of land for lime-kiln under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Unoccupied Government Land for Lime-kilns) Rules, 1965.

In exercise of the powers delegated to me by Government Notification No. F. 6 (18) Rev./B/Gr. I/65, dated 24th February, 1965, and in pursuance of the provisions of sub-rule (2-A) of rule 7 of the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Unoccupied Government Land for Lime-kilns) Rules, 1965, I.....Collector of ..... distt. ..... hereby accord sanction to the allotment of the land particulars whereof are given below to Shri ..... son of ..... resident of ..... for the establishment of a lime-kiln, on the terms and conditions mentioned below:—

(*1*) Particulars of land:—

(*i*) Name of village, with name of tehsil.

(*ii*) Khasra No.

(*iii*) Soil class.

(*iv*) Area.

(*2*) Rent payable at the rate of Rs. 40 per bigha or part of a bigha equal to Rs.....per annum.

(*3*) Period .....year with effect from.....(date)

(*4*) The allottee shall deposit the rent for one year in advance in tehsil ..... within three days of this order and future rent as mentioned above shall be paid every year on .....(date).

(*5*) If the rent for any year is not paid on the date mentioned, it shall be realised as an arrear of rent and this allotment order may be cancelled and thereafter proceedings under section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan (of 1956) may be started.

(*6*) The allottee shall be deemed to have understood the provisions of the rules and to have agreed to abide by the terms and conditions of this order.

(Sd.) Collector of .....District

Copy to Shri son of .....(Allottee)

Copy to Tehsildar .....for necessary action. He should realise the rent as above and see that the terms and conditions are enforced.

Dated .....

Place .....

(Sd.) Collector,

.....

APPENDIX No. 5

[*See para 36 (1)*]

Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959

3. *Development charges.*—The premium to be charged by way of development charges from the lessee shall be:—

(*i*) Rupees one thousand five hundred per acre in an industrial area situated within a radius of fifteen miles of Jaipur City, or Kota city)

(*ii*) Rupees five hundred per acre in a city having a population of three lakhs and above, other than the cities mentioned in the preceding clause.

(*iii*) Rupees three hundred per acre in a town having a population of 50,000 or above but less than three lakhs.

(*iv*) Rupees two hundred per acre in a town having a population of more than 10,000 and less than 50,000, and

(*v*) Rupees one hundred per acre in a town having a population of 10,000 and less.

5. *Rate of rent to be charged.*—Rent shall be charged at the rate of Rs. 50/- per acre per year in a town with a population of 3 lakhs and above, Rs. 30/- per acre per year in a town with a population above 10,000 but less than three lakhs and Rs. 15/- per acre per year in a town with a population below 10,000.

6. *Revision of rent.*—Such rent shall be liable to be revised after every thirty years and the enhancement in rent at each such revision shall not exceed 25 per cent of the rent payable for the period immediately preceding such revision.

7. *Setting up of industries.*—Industries shall be set up within a period of two years on the land allotted for the purpose failing which the land shall revert to the Government unless the period of two years is extended by the Government for valid reasons.

8. *Land not to be used for other purpose.*—The land given for industrial purpose shall not be used for any other purpose except constructing factory premises and such other residential quarters as are required for these engaged in that industry. No constructions shall be permitted which may have the object of using it as a commercial undertaking other than the industry permitted to be established.

9. *Lessee debarred from sale of land, etc.*—The lessee shall have limited ownership on the land leased till the lease subsists and shall have the right of assignment only for the purpose of taking a loan for the development of the industry. The lessee shall have no right to sell the land.

10. *Intimation to Revenue Department of sanction accorded.*—The Industries Department shall, before 31st day of January, 1964, send to the Revenue Department a statement giving particulars (viz. date of sanction, date of allotment of land, full particulars of land allotted, development charges and rent to be charged), of all sanctions accorded since the commencement of these rules, and shall inform the Revenue Department of all sanctions to be accorded in future; and the Revenue Department the Revenue Department shall issue orders to the Collector concerned for realising the development charges under rule 3 and the rent under rule 5 and for ensuring that the conditions of the allotment, particularly those mentioned in rules, 7, 8 and 9 are fully observed.

11. *Provision of lands for industrial purposes in certain circumstances.*—(*1*) Where no area of land has been reserved and set apart in a town or village for the purpose of setting up an industry or industries, or where no Government land is available in an industrial area, the industrialist requiring the land for industrial purposes may negotiate for the purchase of any land approved by the Collector for the purpose and purchase the same at a reasonable price and shall, after surrendering it formally to the Government apply for the allotment of the said land under these rules, subject to the condition that the reasonable price so paid shall be adjusted against the development charges payable under rule 3 and the rent payable under rule 5:

Provided that if the price paid by the industrialist is considered exhorbitant by the Collector, who considers that the whole of such price should not be adjusted against the development charges and rent, the matter shall be referred for the decision of the Government in the Revenue Department.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), no conversion of agricultural land for a non-agricultural purpose shall be allowed within—

(*a*) the municipal limits of a city or town, or

(*b*) the master-plan delimitation of city or town, or

(*c*) a radius of five miles of an area within the jurisdiction of a Panchayat Samiti in which a large industry with an investment of more than one crore of rupees is set up:

Provided that till such time as the master-plan is ready, no industrial areas within fifteen miles of the limits of the Jaipur Municipality and ten miles of the limits of the Municipalities of Jodhpur, Ajmer, Udaipur, Kota, Bikaner and Ganganagar shall be set up.

(*3*) Conversion of agricultural land for the establishment of a factory or a mill shall be allowed only if an industrial area within the master-plan limits is not available. If an industrial area is available, the industry should be allowed to be set up within the area.

(*4*) If the person holding land for the purpose of agriculture himself wishes to set up a small industry such as a chaff-cutting machine, flour-mill or the like on a portion of his holding, he may apply for using the land for such a non-agricultural purpose under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural into Non-Agricultural Land) Rules, 1961.

APPENDIX No. 6

[*See para 38 (1)*]

Rajasthan Land Revenue (Saline Areas Allotment) Rules, 1962

11. *Conditions of lease.*—The lease granted under these rules shall be subject to the following conditions, namely:—

(*1*) The allotment shall be for a period of 10 years in the first instance, renewable for a further period of 10 years at the option of the lessee.

(*2*) The allottee shall be liable to pay a dead rent at the rate of Rs. 15/- per acre per year or such rent as may be determined by the Government, from time to time:

Provided that the rate of dead rent shall be altered during the period of a lease.

(*3*) A lease deed in such a form, as may be prescribed by the Government, shall be executed within 30 days of the sanction of the lease and the lessee shall deposit a sum equivalent to one year's dead rent before, taking possession of the area.

(*4*) The rent shall be payable by the lessee in advance every year.

(*5*) The lessee shall not sub-let, mortgage, sell, gift or in any other way alienate the area or any portion thereof with the prior permission in writing of the Government.

(*6*) The area leased shall be used only for the purpose of manufacture of salt and its by-products and for no other purpose.

(*7*) The lessee shall not undertake any work that may tend to damage or reduce the yield of salt from the leased area or destroy its future capacity for salt production.

(*8*) The lessee shall take effective steps to manufacture salt within six months of the date of allotment and shall see that the area does not remain idle for a continuous period of 12 months throughout the period of lease.

(*9*) On any contravention of sub-rule (8) above, the Director, may determine the lease and recover the possession of the area:

Provided that no such action by the Director shall be taken unless the lessee has been given a reasonable opportunity or showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(*10*) The rent and other dues shall be paid in such manner as the General Manager may direct. If the lessee fails to pay the amount due within one month from the date on which it falls due for payment, interest at the rate twelve per cent. per annum shall be charged on the amount in arrear from the date of expiry of the said one month till the amount in arrear is paid. If the amount together with such interest thereon as shall be due be not paid within two months from the due date, or such further period not exceeding six months as the General Manager may allow, or if the lessee commits a breach of any of the conditions annexed to the lease,

the General Manager may, after giving an opportunity to the lessee to be heard, determine the lease and—

(*a*) resume the possession of the area, and/or

(*b*) forfeit the security deposit, and/or

(*c*) recover the dues as arrears of land revenue.

(*11*) Rules and regulations issued from time to time either by the Government or by the Central Government in connection with the manufacture of salt, shall be binding upon the lessee.

12. *Intimation of lease.*—Intimation of all leases granted under these rules shall be sent by the Director to the Salt Commissioner for India the Collector of the District in which the saline area is situated and the Secretary to the Government, Industries Department.

13. *Returns and inspections.*—Every lessee shall submit such periodical returns and statements, in such form and in such manner as the Director may require and all accounts and registers of the lessee shall be open to inspection by the Director, the General Manager or any other officer authorised in this behalf by the Director of Industries.

14. *Progress reports.*—A quarterly progress report on the allotment of saline areas and the manufacture of salt by the lessees shall be submitted to the Government by the Director.

परिशिष्ट संख्या 7

(अनु० सं० 39 व 87)

राजस्थान भू-राजस्व (भुगतान, आंकलन, प्रत्यार्पण और वसूली के) नियम, 1958 ये नियम राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1959 के अध्याय-10 की कतिपय धाराओं के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु बनाये गये है ।

1. नाम:—ये नियम राजस्थान भू-राजस्व (भुगतान, आकलन, प्रत्यार्पण और वसूली के) नियम, 1958 कहलायेंगे ।

2. प्रारम्भ:—ये इनके सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, प्रभावशील होंगे ।

3. व्याख्या:—इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,

(1) "एक्ट" से तात्पर्य राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 से है,

(2) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्रपत्र से है,

(3) धारा से तात्पर्य एक्ट की धारा से है ।

4. राजस्व या लगान का भुगतान करने की किश्तें और तारीखें:—सरकार को देय राजस्व या लगान का भुगतान ऐसी किश्तों में और ऐसी तारीखों को किया जायगा, जो राजस्थान के भिन्न भागों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाय, परन्तु जब तक परिवर्तित न की जाय, तब तक वर्तमान किश्तें और वर्तमान तारीखें प्रभावशील रहेंगी ।

5. राजस्व या लगान, कहां अदा किये जायें:—राजस्व या लगान के भुगतान साधारणत: उस तहसील के तहसीलदार के कार्यालय में किये जायेंगे जिसकी कि सीमा के भीतर यह भू-सम्पत्ति (Estate) या भू-क्षेत्र (Holding) जिसके कि संबंध में भुगतान किया जाना है, स्थित है, परन्तु यह कलेक्टर के अधिकार में होगा कि वह राजस्व या लगान का भुगतान जिले के मुख्यालय के खजाने (ट्रेजरी) में कराने की मंजूरी दे, या उसके जिले में अंशत: एक और अंशत: दूसरे तहसीलदार के कार्यालय में देय राजस्व या लगान का भुगतान ऐसे किसी भी एक ही कार्यालय में करने की मंजूरी देवे । कलेक्टर जब कभी भी ऐसी कोई मंजूरी दे तो इस प्रकार अदा हुई रकम की सूचना कलेक्टर या उस सब-ट्रेजरी, जिसमें कुल रकम अदा की गई हो, के तहसीलदार द्वारा जैसी भी स्थिति हो, उन तहसीलों में भेजी जावेगी जहां कि आंशिक भुगतान किया जाना था, ताकि उनके (ऐसी तहसीलों के) वसूली विवरण-पत्र पूरे किये जा सकें ।

6. नदी द्वारा काटी गई भू-संपत्ति का राजस्व ऐसी भू-संपत्ति या गांव को एक जिले से दूसरे में शामिल किये जाने तक, का अदा किया जाय:—(1) जब किसी नदी की गहरी धारा में परिवर्तन हो जाने के कारण, किसी भू-संपत्ति का कोई भाग एक जिले से कट कर दूसरे जिले की सीमा के अन्तर्गत आ जाय तो उक्त भू-संपत्ति का कुल राजस्व उसी जिले में अदा किया जाता रहेगा जिसमें कि वह पहले अदा किया गया हो जब तक कि उक्त संपूर्ण भू-संपत्ति, या दो या अधिक गांवों की किसी ऐसी भू-संपत्ति जिसके प्रत्येक गांव पर भू-राजस्व पृथक रूप से निर्धारित या वितरित किया गया हो के मामले में, जब तक कि इस प्रकार से कटे हुए भाग को शामिल करते हुए सम्पूर्ण गांव को सरकारी आज्ञा के अधीन उस अन्य जिले में नहीं मिला दिया जाय ।

(2) जब तक नदी धारा नियम से, गांव स्थल एक जिले से हट कर दूसरे में न मिल जाय किसी भू-संपत्ति को इस प्रकार दूसरे जिले मे शामिल नहीं किया जावेगा ।

7. जिस जिले में भू-संपत्ति पर राजस्व निर्धारित हुआ, उसके अलावा दूसरे जिले के मुख्यालय में भू-राजस्व का भुगतान:—भू-संपत्तिधारियों द्वारा भू-राजस्व संबंधित कमिश्नर या कमिश्नरों की अनुमति से,